

पत्रांक.....70 (अनु०) /

शेखपुरा, दिनांक 13/01/2024 /

प्रेषक:-

ई० विमल कुमार,
कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA, पटना।

विषय:-

शीर्ष राज्य योजना (नाबार्ड) अन्तर्गत C.W.J.C. No.-19002/2019 मेसर्स रामस्वरूप सिंह बनाम राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 08.12.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में स्वामित्व वापसी हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-

अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रा०का०वि०, बिहार, पटना का पत्रांक-14/अ०प्र०-02-225/2019-168 अनु० दिनांक 11.01.2024.

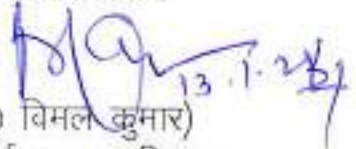
महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि C.W.J.C. No.-19002/2019 मेसर्स रामस्वरूप सिंह बनाम राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 08.12.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में शीर्ष नाबार्ड सम्पोषित योजनान्तर्गत निर्मित 'लखीसराय-सिकन्दरा पथ से सौन्धी बरतारा पथ', एकरारनामा संख्या-48/F2/2006-07 में स्वामित्व वापसी हेतु राशि रुपये-1,07,385/- (एक लाख सात हजार तीन सौ पचासी) मात्र की स्वीकृति प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रदान की गयी है, सुलभ प्रसंग हेतु प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त स्वीकृत राशि रुपये-1,07,385/- (एक लाख सात हजार तीन सौ पचासी) मात्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश का अनुपालन संभव हो सके।

अनु०-प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति।

विश्वासभाजन


(ई० विमल कुमार)

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा.का.वि., कार्य प्रमण्डल,
शेखपुरा
13/1/24

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना

पत्रांक:- 14/अप्र०-02-225/2019 - 168 पटना, दिनांक 11/01/2024
प्रेषक,

अमरेन्द्र कुमार सिन्हा,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, शेखपुरा।

विषय :-CWLC No.-19002/2019 मेसर्स राम स्वरूप सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 08.12.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में स्वामित्व वापसी के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा का पत्रांक-2459 (अनु०) दिनांक 01.12.2023

महाशय,

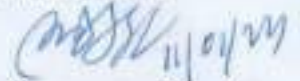
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा CWLC No.-19002/2019 मेसर्स राम स्वरूप सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 08.12.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में नाबार्ड सम्प्रेषित योजनान्तर्गत निर्मित लखीसराय-सिकन्दरा पथ से सौन्धी बरतारा पथ, एकरारनामा संख्या- 48/F2/2006-07 में वर्णित स्वामित्व वापसी योग्य राशि के भुगतान हेतु 1,07,385/- रुपया मात्र का आवंटन निर्गत करने का अनुरोध किया गया था।

उक्त संदर्भित मामले में वर्णित राशि का आवंटन नाबार्ड शीर्ष अंतर्गत उपलब्ध राशि से निर्गत करने के प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः विषयांकित मामले में स्वामित्व वापसी योग्य राशि के भुगतान हेतु 1,07,385/- रुपया मात्र के आवंटन निर्गत करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक :- मु०अ०-4(मु०)निविदा-04-623/2023 - 168

पटना, दिनांक 11/01/2024

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्प्रेषित।



(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा

Tel. no.-06341-223812, 8986915300
E-mail- rwdshkhpur20@gmail.com

पत्रांक 2459 /

शेखपुरा, दिनांक 1.12.2023 /

प्रेषक:- ई0 विमल कुमार,
कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,
अभियन्ता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।



विषय:- सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-19002/2019 मेसर्स राम स्वरूप सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 08.12.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में स्वामित्व वापसी के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय ज्ञापांक-14/अ0प्र0-2-225/2019-5898 दिनांक 10.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि C.W.J.C. No.-19002/2019 मेसर्स रामस्वरूप सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 08.12.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में नाबार्ड सम्पोषित योजनान्तर्गत निर्मित लखीसराय-सिकन्दरा पथ से सौन्धी बरतारा पथ, एकरानामा संख्या-48/F2/2006-07 में मेसर्स रामस्वरूप सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन में वर्णित स्वामित्व वापसी के संबंध में विस्तृत विवरणी निम्नरूपेण है :-

निम्नरूपेण है :-

विपत्रों से कटौती की गयी स्वामित्व की राशि -

1 st a/c Bill	Rs.65,124/-
2 nd a/c Bill	Rs.90,619/-
3 rd a/c Bill	Rs.12,663/-
4 th a/c Bill	Rs.13,463/-
5 th a/c Bill	Rs. 6187/-
6 th a/c Bill	Rs. Nil
7 th a/c Bill	Rs.10,927/-
8 th a/c Bill	Rs. 5015/-
9 th a/c Bill	Rs. 5275/-
10 th a/c Bill	Rs. 3917/-
11 th a/c Bill	Rs. 7887/-
12 th a/c Bill	Rs. 8536/-

Total Rs.2,29,613/-

उपरोक्त कुल राशि में से विविध जमा मद में रखी गयी राशि 47102/- मात्र संवेदक को दिनांक 30.11.2016 को वापस किया जा चुका है, तथा शेष राशि को प्रमण्डल के समेकित चेक संख्या-337638 दिनांक 23.12.2009 रुपये-1,63,722/- एवं चेक संख्या-102978

28-37/30-14

10/12/23

(कृ०पृ०उ०)



श्री श्री ज्ञानेश्वर
08/12/23

301

दिनांक 20.03.2013 रुपये-2,04,862/- द्वारा खनन विभाग को जमा की जा चुकी है, जिसमें से स्वामित्व सफाया प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरांत वापसी योग्य राशि के भुगतान हेतु केवल 1,07,385/- मात्र आवंटन निर्गत करने की कृपा की जाय।



विश्वासभाजन

[Handwritten Signature]

(ई० विमल कुमार)

कार्यपालक अभियन्ता

ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमण्डल,

शेखपुरा
11/2/23